# निवेश के लिए सबसे बड़ी संभावनाओं वाला क्षेत्र है ग्वालियर-चंबल अंचलः डॉ. यादव

भोपाल (काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र पूरे प्रदेश में निवेश के लिये सबसे अच्छी व बड़ी संभावनाओं वाला क्षेत्र है। ग्वालियर शहर देश की राजधानी नई दिल्ली के नजदीक होने के साथ-साथ उत्कृष्ट हवाई, रेलवे व सड़क सेवाओं से पूरे देश से जुड़ा है। हमें भरोसा है कि ग्वालियर में 28 अगस्त को आयोजित होने जा रही रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव से इस क्षेत्र के लिए बड़ा औद्योगिक निवेश प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्वालियर व चंबल संभाग के जिलों के उद्योगपतियों व औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा सरकार का प्रयास है कि निवेश केवल बड़ी इकाईयों में ही नहीं, अपितु रोजगारपरक इण्डस्ट्रीज में हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में आयोजित होने जा रही रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव के सिलसिले में गुरुवार को ग्वालियर कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष से भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर व शिवपुरी जिले के उद्योगपतियों से वर्चुअल संवाद किया। ग्वालियर के उद्योगपति बैठक में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहे। केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल रूप से इस बैठक में शामिल हुए। यहाँ कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला एवं क्षेत्रीय सांसद भारत सिंह कुशवाह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे।

संवाद के दौरान डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्यमियों के प्रोत्साहन एवं बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में श्रृंखलाबद्ध रूप से इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्वालियर में 28 अगस्त को रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन की गई है। इस कॉन्क्लेव से पहले से कार्यरत औद्योगिक इकाईयों को विस्तार देने में मदद मिलेगी ही, साथ ही क्षेत्र को बड़े पैमाने पर नया औद्योगिक निवेश प्राप्त होगा।

# कुरीयन का दक्षिण भारतीय समाज ने किया स्वागत

**भोपाल (काप्र)।** केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरीयन का भोपाल में प्रथम आगमन पर दक्षिण भारतीय समाज द्वारा स्वागत किया।

मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर बधाई देते हुए उन्हें ज्ञापन सौंप कर भोपाल से दक्षिण भारत की ओर जाने व आने वाली ट्रेनों का रानी कमलापति स्टेशन पर स्टॉपेज की मांग की। दक्षिण भारतीय समाज के एम रवि, विनोद नायर, सुब्रमनियन, प्रकाशन, मणि, डॉ सुरेश कुमार, विश्वनाथन, श्रीमती श्यामल सोमन, राघवन, सेलवराजू, मुथुवेल, अरुमुगम, सिंगार वेलू, वेंकटेश कुमार, आदि ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी के प्रति दक्षिण भारतीय समाज को राजनीति में मौका दिए जाने हेतु आभार प्रकट किया।

# स्केटिंग में संतनगर के दक्ष नायक का चयन हुआ

**भोपाल (हिनप्र)।** सागर पब्लिक स्कूल गांधीनगर में रोल बॉल स्केटिंग राज्य स्तरीय अंडर -14 प्रतियोगिता के लिए जिला स्तर पर चयन प्रक्रिया हुई, जिसमें शहर के सीबीएसई विद्यालयों के बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई। चयन प्रक्रिया में मिठी गोबिंदराम पब्लिक स्कूल के छात्र दक्ष नायक ने अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया। दक्ष ने कोच राकेश पाटिल के मार्गदर्शन में रोल बॉल स्केटिंग का प्रशिक्षण लिया है। विद्यालय प्रबंधन समिति ने उम्मीद जताई है कि दक्ष राज्य स्तरीय अंदर -14 प्रतियोगिता में जीत दर्ज कराएगा।

# बहनों के आशीर्वाद ने हमें सक्षम बनायाः वीडी शर्मा

**भोपाल (हिनप्र)।** हुजूर विधानसभा क्षेत्र में गुरूवार से रक्षा बंधन उत्सव की शुरूआत हुई। गांधीनगर और संतनगर में के कार्यक्रमों में 25 हजार बहनों ने विधायक रामेश्वर शर्मा को राखी बांधी। संतनगर में हुए कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी ने भी बहनों से राखी बंधवायी और आशीर्वाद लिया।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष शर्मा ने कहा कि हम हुजूर विधानसभा से लेकर पूरे मध्यप्रदेश में और प्रदेश से लेकर पूरे देश में जनता के हित में कुछ करने के लिए सक्षम बने हैं, सत्ता में आए हैं। मैं अपनी लोकसभा सहित पूरे प्रदेश में जाता हूं और महसूस करता हूं कि सभी जगह हमें जो ताकत मिली है वह बहनों के आशीर्वाद से ही मिली है। रामेश्वर शर्मा से लेकर, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी को बहनों के आशीर्वाद से ही ताकत मिली है और इसी ताकत के दम पर देश सेवा के लिए हम सभी जगह सत्ता में आए हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बहनों के लिए उज्ज्वला गैस की योजना दी है। अभी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रक्षाबंधन पर लाडली बहनों के खाते में नेग के पैसे डालें हैं। भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, डॉ मोहन यादव की सरकार है, जो गरीबों की सेवा करने के लिए राजनीति कर रही है। शर्मा ने कहा कि हिंदू धर्म में नारी हर रूप में पूजी जाती है।

## पेज एक से जारी खबरों के शेष...

### श्योपुर को मिली...

अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद परिवर्तन आया है। नवीन एवं नवकरणीय तथा श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि जिस विश्वास से जनता ने हमें चुना है, उस विश्वास को बनाये रखने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि श्योपुर जिले में विकास के कार्य मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में निरंतर जारी रहेंगे। क्षेत्र के विकास की गति को निर्बाध बनायें रखने में कोई कमी नहीं रहेगी। हम सभी के साथ मिलकर निरंतर विकास के कार्य जनता को लाभान्वित करेंगे। वन एवं पर्यावरण मंत्री रावत ने कहा कि पहले तेंदुपत्ता संग्राहकों को 450 रूपये प्रति मानक बोरा बोनस मिलता था, जो आज 4 हजार रूपये प्रति मानक बोरा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पं. दीनदयाल के पद्चिन्हों, उनके आदर्शों पर चलकर हमारी सरकार सहरिया जाति का विकास कर रही है। मंत्री श्री रावत ने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिये मुख्यमंत्री डॉ. यादव को मांग-पत्र सौंपा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा कि क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है कि कार्यक्रम में पधारे सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन कर स्वागत किया। मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव विजयपुर क्षेत्र में इतने कम समय में भी तीसरी बार पधारे हैं। उन्होंने कहा कि श्योपुर जिले की जनता को मुख्यमंत्री डॉ. यादव के द्वारा कई विकास की सौगातें दी गई और भविष्य में भी इसी प्रकार क्षेत्रवासियों को सौगातें मिलती रहेंगी।

### मैं खुद सरकारी...

बीमार थे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नागपुर के रेजिडेंट चिकित्सकों के वकील ने चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से कहा कि घटना के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए डॉक्टर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है। पीठ ने कहा कि उनके काम पर वापस आ जाने के बाद हम प्रतिकूल कार्रवाई न करने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालेंगे। अगर डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे तो जन स्वास्थ्य ढांचा कैसे चल पाएगा? उसने कहा कि अगर इसके बाद भी कोई कठिनाई हो तो न्यायालय के पास आएं, लेकिन पहले काम पर लौटें। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्य पुलिस ने पीड़िता के माता-पिता से पहले कहा कि यह आत्महत्या का मामला है, फिर उसने कहा कि यह हत्या है। सीबीआई ने कहा कि पीड़िता के मित्र ने मामले में तथ्य छुपाए जाने का संदेह जताया और वीडियोग्राफी पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत को अपने रिकॉर्ड में दर्ज करने में कोलकाता पुलिस द्वारा की गई देरी को बेहद व्यथित करने वाली बात बताया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत आश्चर्यजनक है कि अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज होने से पहले मृतक का पोस्टमार्टम कर दिया गया। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर रेप-मर्डर की घटना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नौ अगस्त को महिला डॉक्टर का शव मिला था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिफ्तार किया है। इस मामले में देशभर के डॉक्टर्स इंसाफ की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिससे देशभर के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही है और मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा।

### एम्स-आरएमएल के...

व्यक्त किया। एम्स आरडीए के नक्शेकदम पर चलते हुए राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है और काम पर लौट आए हैं। आरडीए ने एक बयान में कहा कि हम देश भर में स्वास्थ्य पेशेवरों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की ईमानदारी से सराहना करते हैं। इससे पहले दिन में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके वापस आने के बाद कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। आरडीए ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आरजी कर घटना में सर्वोच्च न्यायालय की अपील और आश्वासन तथा हस्तक्षेप और डॉक्टरों की सुरक्षा के बाद हम काम पर लौट रहे हैं। हम न्यायालय की कार्रवाई की सराहना करते हैं और उसके निर्देशों का पालन करने का आह्वान करते हैं। मरीजों की देखभाल हमारी प्राथमिकता बनी हुई है। डॉक्टर संघों ने ओपीडी सेवाओं को रोककर एक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर थे, कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के जवाब में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की वकालत कर रहे थे।


# कार्यालय नगर पालिका परिषद् मंडीदीप जिला-रायसेन म.प्र.

क्रमाक/2543/स्थापना/दिव्यांगजन पदपूर्ति/2024 मंडीदीप दिनांक 21/08/2024

## दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

::विज्ञापन::

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 7275/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024, म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ -07-19/2019/आ.प्र./1 दिनांक 14.02.2024,म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक/676/16017123/2023/18-1 दिनांक 16.02.2023, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था/एक/201/प्र.शि./2024/3780 भोपाल दिनांक 26.02.2024 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, के पत्र क्रमांक एफ 8-2/2013/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 04.01.2024 एवं अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए 11 (ग्यारह) पद का नाम-सफाई संरक्षक (चतुर्थ श्रेणी) के आरक्षित पद/पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं आर्हता रखने वाले अभ्यार्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भर कर दिनांक 05/09/2024 कार्यालयीन समय सायं-05 बजे तक आवेदन-पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय/कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है:-

| सरल क्र | पद का नाम | पद की श्रेणी | वेतनमान | दिव्यांगजनों की लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां | | | | निर्धारित योग्यता | वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | दृष्टि बाधिक और कम दृष्टि | बहरे और कम सुनने वाले | लोकोमेटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलिति सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ट रोग मुक्त बौनापन, एसिड अटेक, पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्राफी | ऑटिस्म बौधिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | सफाई संरक्षक | चतुर्थ | 4400-7440-1300 लेवल-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण | पृथक से डाक एवं मेल के माध्यम से सूचित किया जावेगा। |
| 2. | सफाई संरक्षक (संविदा) | | 8000/- प्रतिमाह या या वर्तमान प्रचलित कलेक्टर दर पर जो भी अधिक हो | 2 | 1 | 2 | 2 | | |
| योग: | | | | 3 | 2 | 3 | 3 | कुल-11 | |

**मुख्य शर्तें:-**

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण-पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावे।
3. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग-अनु.जा.,अनु. जनजाति, अन्यपिछडा वर्ग,शासकीय/निगम/मण्डल/स्वाशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/नि:शक्त जन/महिलाओ (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45(अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) होगी।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल,दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. आवेदक को वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
6. नि:शक्ता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। दिव्यांगता के डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 01.06.2021 से लागू की गई है। अत: उक्त तिथि के पूर्व जारी मैन्यूअल दिव्यांगता प्रमाण-पत्र भी मान्य होगे।
7. डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।
8. वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
9. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
10. भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्ते कार्यालयीन समय में निगम/निकाय से प्राप्त की जा सकती है।
11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए आयोग्य माना जायेगा।
12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पर के लिये निर्धारित समस्त आर्हताओं और शर्तो को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पूर्ण करता है।
13. आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नही किया जाता है, तो उकसे आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. सीधी/बैकालॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्ति होंगे।
15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किए जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहारिया/सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नही होगा।
16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नही है वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रुपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
18. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के नि:शक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
19. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यार्थी जिसके 02 से अधिक जीवत सन्ताने है, जिसने से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है तो ऐसा अभ्यार्थी नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्ताने जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नही माना जावेगा।
20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यार्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यार्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।
21. दिव्यांजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानुसार की जावेंगी।
22. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगें।

**सुधीर उपाध्याय, मुख्य नगर पालिका अधिकारी**
**नगर पालिका परिषद् मंडीदीप जिला-रायसेन म.प्र.**

**आवेदन का प्रारूप**

प्रति,
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् मंडीदीप
जिला-रायसेन म.प्र.
पता- वार्ड-12 मंगल मार्केट मंडीदीप-462046

1. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम........................................
2. आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नाम........................................
3. आवेदक/आवेदिका की माता का नाम........................................
4. आवेदक/आवेदिका की जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र/हाई स्कूल की अंकसूची अनुसार)
   वर्ष........................ ........................माह........................दिन........................
5. दिनांक........................को आयु वर्ष........................माह........................दिन........................
6. आवेदक/आवेदिका का लिंग (पुरूष/महिला/अन्य)........................................
7. नि:शक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी(हां/नही)........................
8. दिव्यांगता की श्रेणी एवं दिव्यांगता का प्रतिशत........................................
9. आवेदक/आवेदिका की जाति........................................
10. आवेदक/आवेदिका का यदि विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण-पत्र अनुसार विवाह की दिनांक........................
11. जीवित संतानों का विवरण........................................
12. वर्तमान पता/पिन कोड ........................................
    ........................................
13. स्थाई पता/पिन कोड ........................................
    ........................................
14. पत्राचार का पता/पिन कोड........................................
    ........................................
15. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम........................
    ........................................
16. सीधी भर्ती/संविदा पद हेतु अनुभव का विवरण........................................
17. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं (प्रमाण-पत्रो की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें)
18. अनुभव यदि होतो उसका विवरण........................................
19. अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण........................................
20. ईमेल आई.डी........................................
21. मोबाईल नम्बर 1........................2........................

**आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता**

घोषणा पत्र

मै घोषणा करता हूं/करती हूं कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है। यह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णत: सत्य है। काई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जावें।''

**आवेदक के हस्ताक्षर**